



राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Rajasthan

रा.रा.-8, बांदरसिंदरी, किशनगढ़, जिला-अजमेर (राजस्थान)

NH-8, Bandarsindri, Kishangarh, Distt. - Ajmer (Rajasthan)

छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) हेतु स्व-प्रमाणन सह आवेदन प्रपत्र

I. कर्मचारी का सेवा विवरण			
1.	कर्मचारी का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)		
2.	पदनाम		
3.	अनुभाग/विभाग		
4.	विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण की तिथि		
5.	सरकारी/स्वायत्तशासी संगठन की सेवा में प्रवेश की तिथि		
6.	मूल वेतन तथा वेतन लेवल (उक्त तिथि को)		
7.	क्या पत्नी/पति सरकारी कर्मचारी हैं (यदि हाँ तो विवरण दें)		
II. एलटीसी का प्रकार (सही का निशान लगायें)			
[]	गृह नगर एलटीसी	ब्लॉक वर्ष..... विस्तार अवधि (यदि प्रयोज्य हो)	गृह नगर.....(जिला/राज्य सहित, सेवा पुस्तिका में अभिलेख के अनुसार) की यात्रा हेतु
[]	गृह नगर परिवर्तित एलटीसी	ब्लॉक वर्ष..... विस्तार अवधि (यदि प्रयोज्य हो)(उत्तर पूर्व के किसी क्षेत्र/अंडमान एवं निकोबार द्वीप/जम्मूकश्मीर/लद्दाख) की यात्रा हेतु
[]	भारत में किसी स्थान की यात्रा हेतु एल.टी.सी.	ब्लॉक वर्ष..... विस्तार अवधि (यदि प्रयोज्य हो) (भारत में किसी स्थान) की यात्रा हेतु।
[]	नई भर्ती हेतु	कैलेंडर वर्ष: विस्तार अवधि लागू नहीं	इससे पूर्व ली गई एलटीसी की संख्या
	पूर्व में ली गई एलटीसी का विवरण	(एलटीसी का प्रकार ब्लॉक वर्ष / कैलेंडर वर्ष	
	एलटीसी हेतु छुट्टी की योजना: छुट्टी के प्रकार तथा दिनों की संख्या	दिनांक	से तक
	उपरोक्त प्रस्तावित छुट्टी के दौरान कक्षा तथा कार्य की व्यवस्था		
III. स्वयं तथा परिवार के उन आश्रित सदस्यों का विवरण जिनके लिए एलटीसी प्रस्तावित है :			
क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि /उम्र	सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
मैं पुष्टि करना चाहता/चाहती हूँ कि मैं उपरोक्त विवरण के अनुसार स्वयं/परिवार के सदस्यों के लिए दिनांक से तक प्रस्तावित एल.टी.सी. ले रहा हूँ। मैंने अथवा परिवार के सदस्य जिनके लिए मैं एलटीसी का लाभ उठाना चाहता/चाहती हूँ, उन्होंने इससे पहले वर्तमान ब्लॉक में इसका लाभ नहीं लिया है और न ही भविष्य में लेंगे। एलटीसी हेतु छुट्टी प्रस्तावित है। प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य सत्य हैं और किसी भी गलत सूचना के लिए मैं सीसीएस (एलटीसी) नियम, 1988 के नियम 16 और संबंधित अनुशासनात्मक नियमों के तहत उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊँगा/होऊँगी।			
IV. अर्जित अवकाश का नकदीकरण :			
एलटीसी के साथ नकदीकरण हेतु अर्जित अवकाश की संख्या			
(अधिकतम 10 दिनों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण हो सकता है)			
मैं भारत सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी एलटीसी के सभी नियमों का पालन करूँगा/करूँगी।			

(कर्मचारी के हस्ताक्षर, तिथि सहित)

(विभागाध्यक्ष / अधिष्ठाता की संस्तुति)

टिप्पणी :

- विश्वविद्यालय के कर्मचारी एलटीसी पर यात्रा के संबंध में किसी गंतव्य की रोचक जानकारी और तस्वीरें, यदि कोई हों, तो उपयुक्त मंच पर साझा कर सकते हैं।
- दावे का निपटारा वापसी यात्रा के पूरा होने की तारीख से 03 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा (यदि अग्रिम नहीं लिया गया है), ऐसा न करने पर दावा जब्त कर लिया जाएगा।
- यदि इस एलटीसी के लिए अग्रिम लिया जाता है, तो वापसी यात्रा पूरी होने की तारीख से 01 महीने के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें विफल होने पर अग्रिम राशि नियमानुसार दंडात्मक ब्याज के साथ वसूल की जाएगी। .
- प्रस्तावित एलटीसी के लिए जावक यात्रा ब्लॉक वर्ष/कैलेंडर वर्ष/अनुग्रह अवधि के अंत से पहले शुरू करना आवश्यक है।
- एलटीसी का लाभ केवल उचित छुट्टी/वैकेशन के दौरान लिया जा सकता है और केवल सप्ताहांत, घोषित अवकाशों अथवा प्रतिबंधित अवकाश के दौरान इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता है। छुट्टी मंजूरी आदेश अनिवार्य रूप से एलटीसी दावा बिल के साथ संलग्न करना आवश्यक है। एलटीसी का लाभ उठाने के लिए मुख्यालय छोड़ने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाए कि उचित अवकाश स्वीकृत किया गया है।
- एलटीसी का दावा सबसे छोटे/सीधे मार्ग से यात्रा/पात्रता की श्रेणी के अनुसार प्रतिबंधित होगा। इसलिए, दावेदार से अपेक्षा की जाती है कि वह टिकट बुक करने से पहले अपनी पात्रता की जांच कर लें।

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

सेवा अभिलेख के अनुसार पात्रता की जाँच की गई है। एलटीसी प्रपत्र में उल्लेख के अनुसार, आवेदक को ब्लॉक/कैलेंडर वर्ष विस्तार अवधि (यदि लागू हो) सहित दिनांक से तक अपने परिवार के सदस्यों के साथ एलटीसी का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

एलटीसी के साथ दिनों के अवकाश नकदीकरण के रूप में रु. (मूल वेतन+मंहगाई भत्ता/30 X अवकाश नकदीकरण के दिनों की संख्या) के भुगतान की स्वीकृति भी प्रदान की जा सकती है।

संबंधित कर्मचारी (स्थापना)

अनु.अधिकारी/ सहा. कुलसचिव

उप कुलसचिव/सं. कुलसचिव

कुलसचिव

अनुमति दी जाती है/ नहीं दी जाती है।

कुलपति